[2008] 2 एस. सी. आर 950

जी. एम., बी.एस.एन.एल व अन्य

बनाम

महेश चंद

सिविल अपील संख्या-19/2007

15 फरवरी, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जेजे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 धारा 25F-सेवा की समाप्ति-कर्मचारी ने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिनों तक निरन्तर काम करने का दावा किया-नियोक्ता का यह रूख है कि नियुक्ति अस्थाई तौर पर थी और कर्मचारी द्वारा दावा किया गया कोई स्वीकृत पद नहीं था-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने नियोक्ता पर 240 दिनों के निरन्तर काम को को साबित करने की जिम्मेदारी डालते हुए बहाली का आदेश दिया-अपील में अभिनिर्धारित-पंचाट अपास्त किए जाने योग्य-निचली अदालतों ने नियोक्ता पर लगातार 240 दिनों तक किए गए काम को साबित करने का दायित्व गलत तरीके से रखा-मामले के तथ्यों को देखते हुए, पंचाट अपोषणीय-साक्ष्य-प्रमाण का दायित्व।

उत्तरदाता-कर्मचारी ने शिकायत की कि उसकी सेवाएँ धारा 25F औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुपालन के बिना अवैध रूप से समाप्त कर दी गई हैं, क्योंकि वह 1987 से 1998 तक निरन्तर सेवा में रहा था और उसने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन काम किया। अपीलकर्ता-नियोक्ता का यह रूख था कि प्रतिवादी पूरी तरह से अस्थाई आधार पर नियुक्त किया गया था। वह कुछ दिनों के लिए दिन में केवल 2 से 3 घण्टे काम के लिए नियुक्त किया था। सफाईवाले का कोई पद कभी सृजित नहीं किया गया था। औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए उसकी बर्खास्तगी को अवैध ठहराया कि उसने दिन में 5 घण्टे काम किया था। सेवा की निरन्तरता के साथ उसकी पुनः बहाली का निर्देश देते हुए पंचाट पारित किया गया। एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने पंचाट को बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 इस सवाल पर कि क्या उत्तरदाता ने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन निरन्तर कार्य किया था, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने नकारात्मक साबित करने की जिम्मेदारी गलत तरीके से नियोक्ता पर डाल दी। [पैरा नम्बर-4] [953-G]

रेन्ज फोरेस्ट ऑफिसर बनाम एस. टी. हदीमनी 2002 (3) एससीसी 25; ऐसेन डेंकी बनाम राजीव कुमार 2002 (8) एससीसी 400; राजस्थान

राज्य गंगानगर एस. मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य 2004 (8) एससीसी 161; नगर निगम, फरिदाबाद बनाम श्री निवास 2004 (8) एससीसी 195; मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड बनाम हरिराम 2004 (8) एससीसी 246; प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलोर बनाम एस. मनी व अन्य 2005 (5) एससीसी 100; बटाला का ॅ-ऑपरेटिव सुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सोवरन सिंह 2005 (7) उच्चतम न्यायालय 165; सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत बनाम देहयाबाई अमर सिंह 2005 (7) उच्चतम न्यायालय 307; आर.एम. येलाटी बनाम सहायक अधिशासी अभियंता जेटी 2005 (9) एससी 340; ओएनजीसी लिमिटेड व अन्य बनाम श्यामल चन्द्र भौमिक 2006 (1) एससीसी 337-पर भरोसा।

1.2 न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अपीलार्थियों का विशिष्ट रूख यह था कि सफाईवाले का कोई स्वीकृत पद नहीं है। न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि यह रूख गलत है। इसके अलावा प्रतिवादी उस अवधि के बारे में सुसंगत नहीं है, जिसके लिए उसने काम किया। एक जगह पर उन्होंने कहा था कि वह प्रत्येक दिन 5 घण्टे कार्य कर रहे हैं जबकि अन्य जगह पर उन्होंने कहा है कि वे 8 घण्टे कार्य कर रहे थे। इसके विपरीत, अपीलार्थी ने किए गए कार्य की प्रकृति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से कहा कि आवश्यकता होने पर उसके आधार पर उत्तरदाता को अंशकालीन समय के

लिए 2 से 3 घण्टे के लिए काम पर लगाया था और जो कार्य उत्तरदाता के द्वारा किया जा रहा था, वही कार्य उसकी पत्नी और माता के द्वारा भी किया जा रहा था। कभी-कभी, उत्तरदाता को नियुक्ति का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता था। यह तथ्य गलत समझा गया। वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में न्यायाधिकरण के द्वारा पारित पंचाट, जिसकी पुष्टि एकल न्यायाधीश और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा की गई है, को कायम नहीं रखा जा सकता और उसे खारिज किया जाता है। [पैरा-11] [958-डी, ई, एफ, जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या-19/2007

राजस्थान उच्च न्यायलय जयपुर पीठ, जयपुर की डी.बी. दीवानी विशिष्ट अपील संख्या-789/2005 के निर्णय और आदेश दिनांक 31.08.2005 से।

अपीलार्थी की ओर से अनुपम लाल दास।

उत्तरदाता की ओर से के. विजयन और देवाशीष मिश्रा।

न्यायालय का निर्णय डाॅ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया

1. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निर्णय को, जिसमें उनके द्वारा धारा 18 उच्च न्यायालय अध्यादेश अधिनियम, 1949 (संक्षेप में उच्च न्यायालय अधिनियम) के तहत प्रस्तुत की गई

विशेष अपील, जिसे खारिज कर दिया गया, को चुनौती दी गई है। विशेष अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा एस.बी. दीवानी रिट याचिका संख्या-3514/2005 में पारित निर्णय को चुनौती दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा केन्द्र सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर (संक्षेप में न्यायाधिकरण) के द्वारा दिए गए पंचाट को बरकरार रखा गया था।

संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:

उत्तरदाता ने शिकायत की थी कि उसकी सेवाएँ 13.10.1998 से अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थीं। उसका मामला यह था कि उसने 1987 से 1998 तक निरन्तर काम किया था। उसने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिनों तक कार्य किया था इसलिए उसकी सेवाआें को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 25F की अनुपालना किए बिना समाप्त नहीं किया जा सकता था।

अपीलकर्ताओं ने यह रूख अपनाया कि उत्तरदाता पूरी तरह से अस्थाई आधार पर कार्यरत था और कुछ दिनों के लिए अंशकालीन काम करने के लिए लगाया था इसलिए उसके 240 दिन से अधिक काम करने का सवाल प्रासंगिक नहीं है। वह वास्तव में कुछ दिनों के लिए 2 से 3 घण्टे काम करने के लिए लगाया था। यह बताया गया कि सफाई वाले का ऐसा कोई पद कभी सृजित नहीं किया गया इसलिए दावे की पूरी तरह से गलत कल्पना की गई थी।

न्यायाधिकरण को निम्नलिखित संदर्भ दिया गया था:

> "क्या दिनांक 13.10.1998 से कर्मकार श्री महेश चन्द की सेवाओं को समाप्त करने में दूरसंचार विभाग के प्रबंधन की कार्यवाही कानूनी एवं उचित थी? यदि नहीं तो, कर्मकार किस राहत का अधिकारी है और किस तारीख से?"

न्यायाधिकरण ने अपने द्वारा पारित पंचाट दिनांक 29.09.2004 के द्वारा यह माना कि प्रतिवादी का दावा यह था कि उसने प्रतिदिन 5 घण्टे काम किया था इसलिए वह नियमित सफाई वाले के रूप में नियमित होने का अधिकारी था। तदनुसार यह माना गया कि प्रतिवादी की सेवा की बर्खास्तगी अवैध है और वह सेवा में निरन्तरता के साथ लेकिन बकाया वेतन के बिना बहाल होने का अधिकारी था।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

2. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आकस्मिक और अंशकालीन कार्य की प्रकृति इस तथ्य से स्पष्ट है कि कभी-कभी उत्तरदाता की माता और कभी-कभी उसकी पत्नी ने कार्य कार्य किया था, न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के इस दावे पर गौर किया कि उसे प्रतिदिन 8/- रुपये का भुगतान किया जा रहा था। यहाँ तक कि अपने

अनुसार उत्तरदाता, जिसे वर्तमान अपीलकर्ताआें ने स्वीकार नहीं किया है, दिन में 5 घण्टे काम कर रहा था।

3. दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि वह प्रत्येक दिन लगभग 8 घण्टे काम कर रहा था और इसीलिए न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के आदेशों को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

4. इस प्रश्न पर कि क्या प्रतिवादी ने एक कैलेण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य किया था, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से नियोक्ता पर नकारात्मक साबित करने की जिम्मेदारी डाली है। यह स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत है।

5. बड़ी संख्या में मामलों में निर्वहन की जिम्मेदारी से सम्बंधित कानून की स्थिति को चित्रित किया गया है। रेंज फोरेस्ट अधिकारी बनाम एस. टी. हदीमनी (2002 (3) एससीसी 25), में निम्न प्रकार धारित किया गया है:

> "2. वर्तमान मामले में, विवाद को श्रम न्यायालय में भेजा गया था कि प्रतिवादी ने 240 दिन कार्य किया था और उसे कोई छटनी मुआवजा दिए बिना उसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। अपीलकर्ता ने इसे स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि प्रतिवादी ने 240 दिन काम नहीं किया है।

न्यायाधिकरण अपने द्वारा पारित दिनांक 10.8.1998 के पंचाट के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि छटनी का मुआवजा दिए बिना सेवा समाप्त कर दी गई थी। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि प्रतिवादी ने 240 दिनों तक कार्य किया था, न्यायाधिकरण ने यह कहा कि प्रबंधन पर यह दिखाने का भार था कि सेवा समाप्त करने का औचित्य था और कर्मचारी का शपथ-पत्र यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसने एक वर्ष में 240 कार्य किया था।

3. हम जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं, उसके लिए इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि अपीलकर्ता एक उद्योग है या नहीं हालांकि गुजरात राज्य बनाम प्रतामसिंह नृसिंह परमार (2001) 9 एससीसी 713 में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया। हमारी राय में पहले बिना ठोस साक्ष्य के यह निर्धारित किए बिना कि प्रतिवादी ने अपनी सेवा समाप्ति के पहले वर्ष में 240 दिनों से अधिक काम किया था, न्यायाधिकरण द्वारा प्रबंधन पर जिम्मेदारी डालना सही नहीं था। यह दावेदार का मामला था कि उसने इतना काम किया लेकिन अपीलकर्ता ने इस दावे का खण्डन किया। इसके बाद दावेदार को यह दिखाने के लिए सबूत

पेश करना था कि उसने वास्तव में सेवा समाप्ति से पहले वर्ष में 240 दिन काम किया था। हलफनामा दायर करना केवल उसके पक्ष में उसका अपना बयान है और इसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के लिए इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता कि श्रमिक ने वास्तव में एक वर्ष में 240 दिन काम किया था। कर्मचारी ने 240 दिनों के वेतन या मजदूरी की प्राप्ति की रसीद या आदेश या नियुक्ति के आदेश या इस अवधि में काम करने का कोई सबूत पेश नहीं किए हैं। अकेले इस आधार पर पंचाट रद्द किया जा सकता है, हालांकि विभाग की ओर से उपस्थित श्री हेगड़े ने यह कहा कि राज्य वास्तव में कानून को व्यवस्थित रखने में रूचि रखता है और उत्तरदाता को उसी शर्तों पर आज से दो माह के अन्दर अनुकम्पा के आधार पर रोजगार दिया जाएगा, जैसा कि कथित तौर पर वह सेवा समाप्ति से पूर्व लगा हुआ था।"

उक्त निर्णय का पालन ऐसेन डेंकी बनाम राजीव कुमार (2002 (8) एससीसी 400) में किया गया था।

6. राजस्थान राज्य गंगानगर एस. मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (2004 (8) एससीसी 161) के पैरा-6 में स्थिति को पुनः इस प्रकार दोहराया गया।

"यह श्रमिक का मामला था कि उसने सम्बंधित वर्ष में 240 दिनों से अधिक दिनों तक काम किया था। इस दावे को अपीलकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। दावाकर्ता को यह दिखाने के लिए सबूत पेश करना था कि उसने वास्तव में सेवा समाप्ति से पहले वर्ष में 240 दिनों तक काम किया था। उसने एक हलफनामा दायर किया है, यह केवल उसका अपना बयान है, जो उसके स्वयं के पक्ष में है और इसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के लिए इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में दावेदार ने एक वर्ष में 240 दिन काम किया है। रेन्ज फोरेस्ट ऑफिसर बनाम एस. टी. हदीमनी 2002 (3) एससीसी 25 वाले मामले में इन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। 240 दिन वेतन या मजदूरी प्राप्त करने का कोई प्रमाण या कोई आदेश या रिकॉर्ड इस सम्बंध में प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र एक विशेष अवधि की मस्टर रोल प्रस्तुत ना करने के आधार पर श्रम न्यायालय के लिए यह

मानने के लिए पर्याप्त नहीं था कि श्रमिक ने दावे के अनुसार 240 दिनों तक कार्य किया था।"

7. नगर निगम, फरिदाबाद बनाम श्री निवास (2004 (8) एससीसी 195) में यह माना गया कि यह दिखाने का भार श्रमिक पर था कि वह अपनी कथित छटनी से पूर्व एक वर्ष में 240 दिनों से अधिक से काम कर रहा था। मध्यप्रदेश बिजली बोर्ड बनाम हरिराम (2004 (8) एससीसी 246) में स्थिति को पैरा-11 में फिर से इस प्रकार दोहराया गया:

"उपरोक्त बोझ का निर्वहन नहीं किया गया है और श्रम न्यायालय ने ऐसा माना है, हमारी राय में, उच्च न्यायालय और औद्योगिक न्यायालय ने केवल गलत तरीके से निकाले गए प्रतिकूल निष्कर्ष पर बहाली के आदेश को आधार बनाकर गलती की है। इस स्तर पर नगर निगम, फरिदाबाद बनाम श्री निवास जेटी 2004 (7) एससी 248 के फैसले का संदर्भ उपयोगी है, जिसमें यह न्यायालय केवल कुछ प्रासंगिक दस्तावेज पेश ना करने के कारण उच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के दृष्टिकोण से असहमत था। इस सम्बंध में इस न्यायालय का यही कहना था:

"ऐसे मामलों में भी जहाँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, कानून की अदालत यह मान सकती

है या नहीं भी मान सकती है कि यदि किसी पक्ष ने सर्वोत्तम साक्ष्य होने के बावजूद उसे पेश नहीं किया होता तो यह उसकी दलीलों के खिलाफ जाता। हालांकि मामला अलग होगा, जहाँ अदालत के निर्देश के बावजूद सबूत रोक दिए जाते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत ना करने के कारण प्रतिकूल अनुमान की धारणा हमेशा वैकल्पिक होती है और जिन कारकों पर विचार करना आवश्यक है, उनमें से एक मुकदमें में शामिल तथ्यों की पृष्ठभूमि है। इस प्रकार अनुमान अनिवार्य नहीं है क्योंकि जानबूझकर पेश ना करने की अन्य परिस्थितियाँ मौजूद हो सकती हैं, जिनके कारण ऐसा जानबूझकर पेश ना करना कुछ उचित आधारों पर तर्कसंगत पाया जा सकता है। वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला। विशेष रूप से उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उसके अधिकार क्षेत्र में था।"

8. प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंगलोर बनाम एस. मनी व अन्य (2005 (5) एससीसी 100) में इस न्यायालय की तीन बैंच की पीठ ने मामले पर फिर से विचार किया और माना कि प्रारम्भिक रूप से यह साबित करने का भार श्रमिक पर था कि उसने 240 दिन की सेवा पूरी की

है। न्यायाधिकरण का यह मानना कि यह भार नियोक्ता पर था, गलत ठहराया गया। बटाला को-ऑपरेटिव सुगर मिल्स लिमिटेड बनाम सोवरन सिंह (2005 (7) उच्चतम न्यायालय 165) में यह अभिनिर्धारित किया गया:

> "जहाँ तक 240 दिनों से अधिक समय तक काम करने की जिम्मेदारी का प्रश्न है, जैसा कि इस न्यायालय ने रेन्ज फोरेस्ट ऑफिसर बनाम एस. टी. हदीमनी 2002 (3) एससीसी 25 में यह माना है कि यह जिम्मेदारी श्रमिक की है।"

9. सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत बनाम देह्याबाई अमर सिंह (2005 (7) उच्चतम न्यायालय 307) में इस स्थिति की विस्तार से जाँच की गई और रेन्ज फोरेस्ट ऑफिसर, श्री निवास, एम. पी. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (उच्चतम न्यायालय) को दोहराया गया।

10. आर.एम. येलाटी बनाम सहायक अधिशासी अभियंता (जेटी 2005 (9) एससी 340) में ऊपर उल्लेखित निर्णयों को संदर्भित करते हुए यह माना गया कि:

> "इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट है कि साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान औद्यागिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के तहत कार्यवाहियों पर

लागू नहीं होते। हालांकि सामान्य सिद्धान्तों को लागू करने और उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने के बाद हम यह पाते हैं कि इस अदालत ने बार-बार यह विचार किया है कि यह दिखाने के लिए सबूत का भार दावेदार पर है कि उसने दिए गए वर्ष में 240 दिनों तक काम किया है और इस भार का निर्वहन केवल साक्षी कक्ष में कदम रखने वाले श्रमिक पर होता है और इस भार का निर्वहन श्रमिक के द्वारा सुदृढ़ मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह की साक्ष्य पेश करने पर ही होगा। दैनिक वेतन भाेगी की सेवाआेें की समाप्ति के मामले में नियुक्ति का या सेवा समाप्ति का कोई पत्र नहीं दिया जाएगा और भुगतान की कोई रसीद या सबूत भी नहीं होगा। इस प्रकार ज्यादातर मामलों में श्रमिक (दावेदार) नियोक्ता से केवल दी गई अवधि के लिए नाममात्र मस्टर रोल, नियुक्ति या समाप्ति पत्र यदि कोई हो, वेतन रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर आदि न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए कह सकता है। प्रतिकूल निष्कर्ष अन्ततः प्रत्येक मामलों के तथ्य पर निर्भर करेगा। हालांकि उपरोक्त निर्णय यह स्पष्ट करते हैं कि केवल हलफनामे से या स्वयं दावेदार या श्रमिक के द्वारा दिए गए बयान श्रमिक पर डाले गए बोझ के निर्वहन के मामले में यह साबित करने के लिए

पर्याप्त नहीं होगा कि उसने किसी दिए गए वर्ष में 240 दिन काम किया था। उपरोक्त निर्णयों में यह भी कहा गया है कि दावेदार कर्मचारी द्वारा दमन की किसी भी दलील के बिना केवल मस्टर रोल का प्रस्तुत ना करना न्यायाधिकरण के लिए प्रबंधक के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का आधार नहीं होगा। अन्त में उपरोक्त निर्णयों में यह मूल सिद्धान्त दिया गया है, अथार्त् संविधान की धारा 226 के तहत उच्च न्यायालय श्रम न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में जब तक कि वह विकृत ना हों, हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यह प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।"

ओएनजीसी लिमिटेड व अन्य बनाम श्यामल चन्द्र भौमिक (2006 (1) एससीसी 337)

11. इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अपीलकर्ताआेंं का यह विशिष्ट रूख था कि सफाईवाला का कोई स्वीकृत पद नहीं है। न्यायाधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि यह गलत है। इसके अलावा, उत्तरदाता उस अवधि के बारे में भी सुसंगत नहीं हैं, जिसके लिए उसने काम किया है। एक स्थान पर उसने कहा कि वह 5 घण्टे काम कर रहा था

और अन्य स्थानों पर उसने कहा था कि वह 8 घण्टे काम कर रहा था। इसके विपरीत अपीलकर्ता में कार्य की प्रकृति के संदर्भ में स्पष्ट रूप से यह कहा कि आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर अंशकालिक आधार पर उत्तरदाता को समय-समय पर 2 से 3 घण्टे काम पर लगाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जो काम उत्तरदाता के द्वारा किया जा रहा था, वही काम उसकी पत्नी और उसकी माता के द्वारा भी किया जा रहा था। कभी-कभी, उत्तरदाता को नियुक्ति का कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। यह तथ्य गलत कल्पना है. उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, न्याधिकरण के द्वारा पारित पंचाट, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश और खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, उसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और इसे रद्द किया जाता है और खर्चे के सम्बंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रमाकान्त शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।